शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–1479(5)/47–का–3–2017–13/2/2000टीसी

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–3 लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त,2017

विशषः–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञापन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1479(4)/47–का–3–2017–13/2/2000टीसी, दिनांक 24.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न करते हुए उक्त पत्र दिनांक 24.07.2017 से संलग्न जारी निर्देशों में नियुक्ति विभाग की वेबसाइट http://niyuktionline.up.nic.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाने तथा नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर ऑन लाइन भी प्रेषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवेदन पत्र नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर ऑन लाइन भी प्रेषित किये जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन पत्र की साफ्ट प्रति (संलग्नक सहित यदि कोई हो) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के ई–मेल आई0डी0: secyappoint@nic.in पर भी भेजा जा सकता है।

कृपया व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रों में दिनांक 15.08.2017 को प्रकाशित कराने एवं तद्विषयक समाचार पत्रों की 02–02 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

विज्ञापन संख्या– 1479(2)/47–का–3–2017–13/2/2000टी0सी0
दिनांक : 24.07.2017

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु आवेदन के संबंध में।

''भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम,2014(अधिनियम संख्या–20/2014) अधिसूचित किया गया है। उक्त अधिनियम में आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्राविधान है।

2– उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/चयन हेतु आवेदन–पत्र एतदद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन का प्रारूप नियुक्ति विभाग की वेबसाइट http://niyuktionline.up.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रारूप में वांछित सूचना/विवरण अंकित करते हुए,अपना आवेदन पत्र (संलग्नक,यदि कोई हो) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या–101,लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) लखनऊ–226001 को प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र नियुक्ति विभाग की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत Online भी प्रेषित किये जाने होंगे। आवेदन पत्र दिनांक 17–08–.2017 को साय 05.00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जायें। अपूर्ण अथवा 17–08–.2017 की सांय 05.00 बजे के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,लखनऊ में अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्ति/चयन हेतु विज्ञापन का प्रारूप

आवेदित पद का नाम ....

1– आवेदक का पूरा नाम–(क) हिन्दी में ....

(ख) अंग्रेजी में...................................

(बड़े अक्षरों में)

2– पिता/पति का नाम ....

3– जन्म तिथि ....

4– स्थायी पता..

5– अस्थायी पता/वर्तमान पता ....

6– सम्पर्क सूत्र ....

(क)दूरभाष संख्या (एस.टी.डी.कोड सहित)..................

(ख)मोबाइल नम्बर ....

(ग)फैक्स नम्बर ....

(घ)ई–मेल ....

7– पैन नम्बर ....

8– शैक्षिक योग्यता ....

9– (क)क्या आवेदक/आवेदिका विवाहित है ?

(ख)यदि हॉ तो क्या आवेदक की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हैं अथवा क्या आवेदिका ने ऐसे पुरूष से विवाह किया है जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित है ।

10– राष्ट्रीयता ....

11– (I) वर्तमान/पूर्व धारित पद/अन्य विवरण (विगत 10 वर्षों में,धारित पद का नाम तथा किस अवधि तक पद धारित किया गया है,का उल्लेख अवश्य हो)

(II) प्रशासनिक अनुभव यदि कोई हो (भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन यदि कोई सेवा की गयी तो तो जिस पद पर सेवा की गयी हो,उसका पदनाम तथा अवधि का उल्लेख अवश्य किया जाये)।

(III) अन्य विशिष्ट उपलब्धियां यदि कोई हो।

12– आवेदक अपने बारे में निम्न सूचनायें/विवरण प्रस्तुत करेंगे :

(क) शासकीय/अर्द्ध शासकीय सेवा में रहने की स्थिति में यदि सेवाकाल के दौरान कोई विभागीय जॉच,जिसमें आरोप–पत्र दिया गया हो,तो ऐसी विभागीय जॉच/कार्यवाही का विवरण दिया जाय,जिसमें आरोप–पत्र तथा विभागीय जॉच का अंतिम परिणाम आवश्य अंकित किया जाय।

(ख) आपराधिक प्रकरण में यदि प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत की गयी हो, तो ऐसे आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में विवरण दिया जाय,जिसमें दर्ज की गयी प्रथम सूचना रिर्पोट,थाने का नाम,जनपद का नाम तथा जिन धाराओं में प्रथम सूचना रिर्पोट के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम,न्यायालय द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेने की तिथि, वाद संख्या तथा न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रसारित अद्यतन आदेश का उल्लेख अवश्य किया जाए।

(ग) शासकीय /अर्द्ध शासकीय सेवा या अन्य स्थिति में यदि कोई सतर्कता जॉच प्रारम्भ की गयी हो या प्रचलित हो तो उसका विवरण दिया जाय।

13– परिवार के सदस्यों,जिसमें माता–पिता,पति/पत्नी,बच्चे शामिल होंगे,के विरूद्ध भी यदि कोई आपराधिक वाद पंजीकृत हो तो उसका विवरण उक्त प्रस्तर–12(ख) के अनुसार दिया जाय।

14– विगत 10 वर्षो में जिन–जिन स्थानों पर एक वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवास किया गया हो ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाय।

नोटः यदि आवेदक भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय।

घोषणा–पत्र

मैं ....आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री .... इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित (Prosecuted), निरूद्ध (Kept in Detention) आबद्ध (Bound) अथवा अर्थदण्डित (Fined) नहीं किया गया है। मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं है।

इस आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण व तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। कोई तथ्य असत्य नहीं है और न ही किसी तथ्य को छुपाया गया है। यदि इसमें कोई तथ्य कालान्तर में असत्य पाया जाये अथवा छुपाया गया पाया जाये अथवा अधूरा पाया जाये,तो मेरा अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त कर दी जाय।

स्थान– प्रार्थी का हस्ताक्षर

दिनॉक– नाम..........................

पता ....

नोट : अध्यक्ष व सदस्य पद पर नियुक्ति/चयन हेतु अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत करने होंगे।